

## सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध ~~वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन~~  
310 के अन्तर्गत 1927 का धारा 33 का उल्लंघन

रिपोर्ट नं० ..... दिनांक 14/12/2022 रेंज देवरिया वीट तरकुलवा

रेंज केस नम्बर 36/2022-23 20 20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता चन्दमान तिवारी 5/0 स्व- कापिलदेव तिवारी  
ग्राम को. हवालिया पौ० कंचनपुर थाना तरकुलवा जिला देवरिया2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता ① स्वयं हरिकेश गोड़ व० र०  
② दैनिक श्रमिक सुधीर चौहान3. कथित अपराध का पूरा विवरण देवरिया कसगा मार्ग K.M. 14-15 के मध्य दायाँ  
पटरी के मध्य ग्राम को. हवालिया पौ० कंचनपुर थाना तरकुलवा जिला  
देवरिया में सड़क पटरी की भूमि  $35 \times 22.86 = 800.1$  वर्ग मीटर  
संरक्षित भूमि को बिना अनुमति का गैर वानिकी प्रयोग किया जाना

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण X

5. कुल हानि का मूल्यांकन राजकीय सम्पत्ति L.P.S. N 26° 35' 30.097"  
E 83° 51' 27.451"

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान X

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ महोदय आज दिनांक 14/12/2022 को सप्रथ  
लगभग 4:30 P.M. पर प्रातः शिकायत के अनुसार देवरिया कसगा मार्ग  
K.M. 13-14 के मध्य दायाँ पटरी पर ग्राम को. हवालिया थाना तरकुलवा  
जिला देवरिया सुशीला पैदाशिलिम पर पहुँचा तो पाया कि संरक्षित वन भूमि  
की जमीन  $35 \times 22.86 = 800.1$  वर्ग मी० भूमि को बिना अनुमति का गैर  
वानिकी प्रयोग किया जाना पाया गया सुदूर तक पर पूरा चला कि सुशीला  
पैदाशिलिम के मालिक चन्दमान तिवारी 5/0 स्व कापिलदेव तिवारी द्वारा वनसंरक्षण  
आधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है।अतः रिपोर्ट सूचनायुक्त अथर्व  
कार्यवाही हेतु प्रेषित

हरिकेश गोड़

केस काटने वाले का हस्ताक्षर  
पद व० र०

दिनांक- .....20

बाद प्रस्तुत की जायेगी।

नन्द जिओर वन दरोगा

निष्पत्ति आदेश लिखित रूप में

जब आवश्यक हो।

दिनांक 14-12-2022 20

रेन्ज अधिकारी

रेन्ज

प्रभागीय केस नं०

20

रेन्ज अधिकारी

कृपया अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र भेजें।

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
रेन्ज, देवरिया

क्षेत्रीय वन अधिकारी देवरिया की  
संस्तुति के आधार पर केस को  
नं० 40000/- प्रसू ल कट प्रमाणित  
करने की संस्तुति के प्रभागीय निदेशक

प्रभागीय वन अधिकारी

देवरिया

सामाजिक वानिकी प्रभाग

दिनांक 20

अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट  
नं० 36/2022-23 का जॉय रिपोर्ट

महोदय, इस केस की अन्तिम जॉय में द्वारा की गई चयन सत्य पॉई  
गयी अधिपुत्र दादा देवरिया वन्य प्राणी केस-14-15 के प्रथम चरण-कोर्ट-विलियम पॉई  
अन्तिमपुत्र दादा-तदनुसारा-जिंदेदारियों में सडक परसे भूमि-35 X 22.86 = 800.1 वर्ग  
मीटर संक्षिप्त भूमि का बिना अनुमति के गैर वानिकी प्रयोग का अन्तिम प्रमाणित  
13.12.22 को उल्लेख किया है अधिपुत्र के प्रतिष्ठा लेने इस सम्बन्ध में प्रमाणित अधिपुत्र अपने  
वक्ता के अन्तिम जॉय रिपोर्ट को नं०-40.000 (चालीस हजार) प्रतिष्ठा के अन्तिम प्रमाणित  
एव वन विभाग के अन्तिम प्रमाणित प्रमाणित का प्रमाणित है  
अतः नं०-40.000 प्रतिष्ठा प्राप्त कर केस को प्रमाणित करने का सिफारिश  
की जाती है,

रेन्ज अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट तथा सिफारिश

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
देवरिया

R.C.N. 36/2022-23

(नन्द जिओर)  
नं० 4

महोदय, इस केस की अन्तिम श्री नन्द जिओर वन दरोगा से मॉर्ने से लब्ध गयी अन्तिम प्रमाणित  
के अन्तिम प्रमाणित प्रमाणित करते इसे अधिपुत्र से रेज के E3 N 12943/41 दिनांक 01-06-2023  
को प्रतिष्ठा स्वीकार नं० 40000/- (चालीस हजार) प्राप्त कर किया गया है। अधिपुत्र वन विभाग  
श्री कोर्टवा मन्ने को प्रमाणित है। अतः वन दरोगा के अन्तिम से स्वीकार करते इसे को प्रमाणित करने  
अन्तिम निवेदन की जाती है। क्षेत्रीय वन अधिकारी

वनराजि अधिकारी..... के उपरोक्त अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार यह  
केस..... देवरिया रेज के कम्पाउण्ड किया जाता है और बरामद लकड़ियों को मिलान करने की  
अनुमति दी जाती है शेष..... रूपया जिनकी लकड़ियाँ नहीं बरामद हुई है।  
उसकी श्री..... से वसूल करके केस ड्राप किया जाता है।

अपराध से सम्बन्धित सामान जो क्रम सं०..... पर अंकित है।  
रीलीज जप्त किया जाता है। कम्पाउण्ड करने के पहले नाजायज जोत की जमीन खाली करवा ली जाय, तथा तदनुसार सर्वेफिकेट रेन्ज  
अफसर दें। क्षेत्रीय वन अधिकारी देवरिया

प्रमाणित प्रमाणित के आधार पर केस को नं०-40000/-

प्रमाणित प्रमाणित के आधार पर केस को प्रमाणित किया

प्रभागीय निदेशक  
देवरिया

प्रमाणित प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
देवरिया

दिनांक 20

**वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, 30प्र0**

E-3 बुक नं० 12943

नं० 41

वन प्रभाग देवरिया

क. व. प्रभाग देवरिया

दिनांक

01/06/2023

श्री चन्द्रमान विहारी झा एवम विप्रेता विहारी एवम

रुपया 40000.00 (चाबूतार एवम) प्राप्त किया

बाबत R.C.No - 36/2022-23

दिनांक 01/06/2023

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

सद नाम

हस्ताक्षर प्रमाणित

R. S. Jha

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

देवरिया

वयात

हम से चन्द्रमान सिवाही. स्वर्गपे अपिल देव सिवाही ग्राम -  
को-दवसिपु पाठ कंचापुरा ग्राम तल्लुक्क मिठदेवरिय चलाई व दूल्  
जिवाली है मो द्वारा देवरिय चलाय मागि सिं० मी० - 14-15 के मध्य  
दसके पररि पा शुक्लीला पेडोलिपु को-दवसिपु के म्यापा विपु  
गपु है जिला के सडन पट्टी के अरि 35 x 22.86 = 800.1 वर्ग मी  
तोहित वन अरि के विपु अनुमति के गैर वाणिजी प्रयोग विपु  
गपु जो कि मो द्वारा <sup>मो</sup> ~~मो~~ अदिनिपु - 19 ~~87~~ <sup>88</sup> चलाय उलंका  
विपु गपु है मो अचा अरि ~~मो~~ अरि है तय वन विभाग च  
पैतल्य मानन के तय है अरि अचा अपने प्रे देश दवाय वि  
रजाप-की के सपु लिखवा पडवा च शोय सपु च इतर  
वता विपु जो वरि अचा पा चलाय अरि

वयात मो दवा (विपु गपु)

(मो अरि)  
अरि के  
अरि/अरि  
व० १०

४  
क्षेत्रीय वन अधिकारी  
देवरिया रेंज

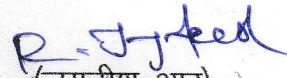
R. S. J. A. S.  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग  
देवरिया

वयात अरि के इतरिक्ष

Chandabhan Givan  
चन्द्रमान सिवाही S/O  
र०० कपिल देव सिवाही  
गपु. को-दवसिपु  
पा०. कंचापुरा चलाय तल्लुक्क  
अरि. देवरिया

## एच-2 केस प्रशमित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच-79) के कि०मी० नं०-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग बिना स्वीकृति के किया गया है। जिस पर विभागीय एच-2 केस संख्या-36/2022-23 दिनांक 14.12.2022 को इजरा किया गया है। जिसका प्रतिकर प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा रू० 40,000.00 मात्र की धनराशि ई-3 संख्या-12943 दिनांक 01.06.2023 द्वारा जमा कराकर केस प्रशमित किया गया है।

  
(जमादीश आर)  
प्रभागीय निदेशक  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया  
देवरिया